

पुलिस

अधीक्षक

जनपद

आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in



पत्र संख्या- 269/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 30.08.2024

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 30.08.2024 को जनपद आजमगढ़ से निम्न कार्यवाहियां की गयी:-

01.थाना- बरदह: अवैध तमन्चा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक- 29.08.24 को उ0नि0 उमेश चन्द्र यादव मय हमराह चेकिंग दौरान एक व्यक्ति जितेन्द्र पुत्र जगधारी निवासी ग्राम सरायमोहन (उसरेपर) थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को एक पिस्टल 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ सरायमोहन बिगहापर नहर पक्की सडक वहद ग्राम सरायमोहन से 19.30 बजे गिरफ्तार किया गया है। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 282/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम अभियुक्त जितेन्द्र उपरोक्त पंजीकृत किया गया।



02. थाना सरायमीर: दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

अवगत कराना है कि दिनांक 21.08.2024 को वादिनी मुकदमा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया कि दिनांक 19.08.2024 को विपक्षी राकेश यादव पुत्र लल्लु यादव निवासी फरिदुनपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष ने वादिनी/पीड़िता को घर में अकेला पाकर छेड़खानी किया तथा मना करने पर गाली-गलौज, मारपीट व जान से मारने की धमकी दिया जिसके सम्बन्ध में थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0- 449/24 धारा 115(2),352,351(2),74 बीएनएस बनाम राकेश यादव उपरोक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के आधार पर धारा 64 बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण-

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के तहत दिनांक 29.08.2024 को उ0नि0 राजकुमार यादव हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त राकेश यादव पुत्र लल्लु यादव निवासी फरिदुनपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष को कस्बा सरायमीर भेली मण्डी (कपडे की दुकान) के पास से समय करीब 17.05 बजे हिरासत पुलिस लेकर आज दिनांक 30.08.2024 को चालान मा0 न्यायालय किया गया।



03.थाना- बरदह: अवैध शराब के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि आज दिनांक 30.8.24 को उ0नि0 विजय कुमार सिंह द्वारा चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति रूपचन्द पुत्र जदुराई निवासी ग्राम बिजौली थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ सरायमोहन मार्टिनगंज मोड़ ग्राम सरायमोहन से समय सुबह 05.50 बजे गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी व बरामदी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 283/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम बनाम अभियुक्त रूपचन्द पुत्र जदुराई उपरोक्त पंजीकृत किया गया है। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।



04-थाना जहानागंज: चोरी की तीन घटनाओं का सफल अनावरण; चोरी गये सामान, अवैध असलहा व कारतूस के साथ 04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

➡ दिनांक 29.08.2024 को वादिनी मुकदमा प्रतिमा मिश्रा प्रधानाध्यपक कम्पोजिट विद्यालय-धरवारा शि0क्षे0 जहानागंज आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीरी दिया गया कि दिनांक 28.08.2024 की रात्रि में अज्ञात चोर द्वारा विद्यालय का ताला तोड़कर फैन, गैस सिलेन्डर एवं कुछ बरतन उठा ले गये जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 405/24 धारा 331(4)/305 बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 आदित्य सिंह द्वारा किया जा रहा है।

➡ दिनांक 07.08.2024 को वादिनी मुकदमा नीतू भारती पुत्री सन्तलाल निवासी लगूपुर थाना मोहम्दाबाद जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दिया गया कि दिनांक 06.08.2024 को अज्ञात चोर द्वारा ए.एन.एम सेन्टर धनारबाध मे अज्ञात चोर ने सेन्टर का ताला तोड़कर 02 सीलिंग फैन, 01 बिजली का बोर्ड को चोरी कर लिये तथा आलमारी को तोड़ दिये जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 314/24 धारा 331(4),305/324(2) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 सुधान्शू मिश्रा के द्वारा किया जा रहा है।

➡ दिनांक 15.07.2024 को राकेश कुमार सिंह (इं0प्र0अ0) प्रा0वि0 चकवल के द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दिया गया कि दिनांक 14.07.2024 को अज्ञात चोर द्वारा प्रा0वि0 चकवल के आफिस स्टोर रुम व किचन के ताला तोड़ कर उसमे रखा खाद्यान सामान व 02 बोरी चावल, 01 बोरी गेहु, 02 गैस सिलण्डर एवं 02 कुर्सी चोरी कर लिया गया जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 369/24 धारा 305 BNS पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 मुरारी मिश्रा के द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक-30.08.2024 को उ0नि0 आदित्य सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त 1. इन्द्रपाल शर्मा पुत्र जशवन्त शर्मा निवासी धरवारा थाना जहानागंज आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष, 2. मानसिंह यादव पुत्र कोमल यादव निवासी रुनावे थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर उम्र करीब 27 वर्ष, 3. सतीश यादव पुत्र राकेश यादव निवासी किशुनदासपुर थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष, 4. अजित सिंह पुत्र ईश्वर सिंह निवासी केशवपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष को 720 रूपया व 4 मोबाईल व सरकारी भवनो, प्राथमिक विद्यालय चकवल, एएनम सेन्टर धनारबाध, व प्राथमिक विद्यालय धरवारा से चोरी किये गये सामानो सिलेण्डर, पंखे, खाना बनाने के उपकरण, राशन के आधार पर पंजीकृत मुकदमे मु0अ0स0 449/24 धारा 305 BNS से संबन्धित चोरी गये 01 इण्डेन का सिलेण्डर बरामद हुआ तथा मु0अ0स0 414/24 धारा 331(4), 305, 324(4) BNS से संबन्धित चोरी गये 02 पंखा बरामद हुआ तथा मु0अ0स0 369/24 धारा 305 BNS व बढोत्तरी धारा 317(2) BNS मे तीन सीलिंग फैन दो सिलेण्डर, एक चूल्हा मय पाइप मय रेगुलेटर, एक बेलन एक पल्टा, एक गैस लाइटर चोरी का बरामद हुआ ।

अभि0 इन्द्रपाल शर्मा के पास से बरामद अवैध तंमचा व जिन्दा कारतूस के आधार पर मु0अ0स0 456/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम इन्द्रपाल शर्मा पुत्र जशवन्त शर्मा निवासी धरवारा थाना जहानागंज आजमगढ़ के पंजीकृत हुआ ।

अभि0 मानसिंह यादव के पास से बरामद अवैध चापड़ के आधार पर मु0अ0स0 457/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम मानसिंह यादव पुत्र कोमल यादव निवासी रुनावे थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर पंजीकृत हुआ

अभि0 सतीश यादव के पास से बरामद अवैध चापड़ के आधार पर मु0अ0स0 458/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम सतीश यादव पुत्र राकेश यादव निवासी किशुनदासपुर थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत हुआ । गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा सरकारी भवनो विद्यालयो मे रखे सामानो की चोरी किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग:-

1-मु0अ0स0 456/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम इन्द्रपाल शर्मा पुत्र जशवन्त शर्मा निवासी धरवारा थाना जहानागंज आजमगढ़।
2-मु0अ0स0 457/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम मानसिंह यादव पुत्र कोमल यादव निवासी रुनावे थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर

3-मु0अ0स0 457/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम सतीश यादव पुत्र राकेश यादव निवासी किशुनदासपुर थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़

बरामदगी-

- 1- अवैध तंमचा व जिन्दा कारतूस व एक चापड़
- 2- 01 इण्डेन का सिलेण्डर व 02 पंखा
- 3- 720 रूपया व 4 मोबाईल

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. इन्द्रपाल शर्मा पुत्र जशवन्त शर्मा निवासी धरवारा थाना जहानागंज आजमगढ़
2. मानसिंह यादव पुत्र कोमल यादव निवासी रुनावे थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर
3. सतीश यादव पुत्र राकेश यादव निवासी किशुनदासपुर थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़
4. अजित सिंह पुत्र ईश्वर सिंह निवासी केशवपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

क्र0स0	मु0अ0स0	धारा	नाम	थाना	जनपद
1	449/24	305/317(2) BNS	जहानागंज	आजमगढ़	
2	414/24	331(4), 305, 324(4), 317(2) BNS	जहानागंज	आजमगढ़	
3	369/24	305, 317(2) BNS	जहानागंज	आजमगढ़	

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण

- 1-प्र0नि0 कृष्ण कुमार गुप्ता थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़
- 2-उ0नि0 मुरारी मिश्रा मय हमराह थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

